कपार्ट ग्राम श्री मेला मार्गदर्शिका (जीएसएम) /खरीदार विक्रेता बैठक (बीएसएम)

1) परिचय

कपार्ट ग्रामीण क्षेत्रों में विपणन योग्य वस्तुओं के उत्पादन के माध्यम से आय उत्पादन की गतिविधियों की दिशा में पर्याप्त प्रयास निर्देशित करता है। इन वस्तुओं के विपणन हेतु अच्छी विपणन दुकानें प्रदान करने के लिए विपणन विभाग ने ग्रामीण कलाकारों के कार्य को ग्राम श्री नाम के अंतर्गत एक विशिष्ट पहचान देने का निर्णय लिया और स्थानीय, जिला या राष्ट्रीय स्तर के बाजारों में उनकी उपस्थिति अनुभव कराने के लिए कपार्ट जीएसएम–बीएसएम का आयोजन करता है। ''ग्रामश्री'' जिसका शाब्दिक अर्थ है ''गांवों की समृद्धि'', में ग्रामीण उत्पादकों को बड़े बाजारों में सीधे अपने उत्पाद बेचने, खरीदारों के साथ मिलने–जुलने, उनकी रुचियों, प्राथमिकताओं तथा विकल्पों को समझने तथा परस्पर के अवसर मिलते है। इस प्रकार उन्हें अपने उत्पादों और विपणन कौशलों को उन्नत बनाने तथा समायोजित करने में मदद मिलती है तथा एक बड़े विपणन अवसर से लाभ देते हुए उपभोक्ता को बेहतर सेवा मिलती है।

जीएसएम के उद्देश्य

- शहरी बाज़ारों में डीआरडीए और गैर–सरकारी संगठनों द्वारा समर्थित आईआरडीपी और डीडब्ल्यूसीआरए लाभार्थियों सहित सभी ग्रामीण उत्पादकों को अपने उत्पाद विभिन्न बाजारों में बेचने के अवसर प्रदान करना और इस प्रक्रिया द्वारा ग्रामीण भारत के उत्पादों के प्रति विभिन्न उपभोक्ताओं को सुग्राही बनाना।
- उत्पादकों के लिए अवसर पैदा करना ताकि वे प्रत्यक्ष रूप से शहरी खरीदारों से मेल जोल कर सकें और उनकी रुचि, प्राथमिकताएं और विकल्प समझ सकें।
- मेलों के दौरान कार्यशालाओं द्वारा विपणन, डिजाइन और पैकेजिंग व्यावसायिकों को मेल जोल के अवसर प्रदान करके उत्पादकों के साथ कर्मचारियों के विपणन कौशलों को अद्यतन करना।
- उत्पादकों को मेलों में आयोजित खरीदार–विक्रेता बैठकों द्वारा बड़े (थोक) आदेशों पर मोल भाव में सक्षम बनाना।
- विभिन्न उत्पादक समूहों के बीच अवसर प्रदान करना ताकि उनके बीच मेल जोल हो और आपस में एक दूसरे से सीखना।

चुने हुए स्वैच्छिक संगठनों द्वारा कपार्ट देश भर में ग्रामश्री मेलों को आयोजित करता है।

2) जीएसएम आयोजन के लिए स्वयंसेवी संगठन के चयन के मानदण्ड

- स्वैच्छिक संगठन संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1866 अथवा इसका राज्य संशोधन, भारतीय ट्रस्ट के या सहायता एवं धार्मिक संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1920 के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए।

- सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड सहित तीन वर्ष पूरे किए हों।

- मेला आयोजित करने वाला स्वैच्छिक संगठन ग्रामीण हस्तकला आदि के आय उत्पादन/उत्पादन/ विपणन पर परियोजनाएँ/गतिविधियाँ कर चुका हो।

- गैर–सरकारी संगठन वित्तीय रूप से सशक्त हो और राज्य राजधानी मेला आयोजित करने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक में इसका वार्षिक बजट आय और व्यय कम से कम 15.00 लाख रु. की और राजधानियों के अलावा अन्य स्थानों पर आयोजित करने के लिए पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान प्रत्येक में 7.00 लाख रु. की परियोजनाओं पर कार्य किया हो। स्वैच्छिक संगठन द्वारा जमा किए गए पिछले तीन वर्षों के लेखा विवरण से यह स्पष्ट होना चाहिए।

- कार्यशालाओं, गोष्ठियों, बाजार प्रवर्तन गतिविधियों, प्रचार और सार्वजनिक संबंधों के आयोजन करने की संगठनात्मक क्षमता होनी चाहिए।

- उत्तरदायित्व लेने के लिए पर्याप्त मानव शक्ति और संसाधन होने चाहिए।

- स्थानीय सरकार, राज्य/जिला के संबंधित विभागों के साथ सौहार्दपूर्ण तथा प्रभावी कार्य संबंध हों तथा स्थानीय लोगों और समूहों के बीच अच्छी प्रतिष्ठा हो।

- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वास्तविक रूप से उपस्थिति हो, जहां मेला आयोजित किया जा रहा है।

- गैर–सरकारी संगठन को किसी स्थान पर 5 वर्ष की ब्लॉक अवधि में दो से अधिक मेलों की मंजूरी नहीं दी जाएगी।

वार्षिक रूप से जीएसएम के आयोजन के लिए मुख्यालय में क्षेत्रीय प्रतिनिधि तथा सदस्य संयोजकों द्वारा की गई जानकारियों सहित सक्षम गैर–सरकारी संगठनों का एक पैनल बनाया जाएगा और समान अवसर आधार पर आयोजन का उत्तरदायित्व उन्हें सौंपा जाएगा।

तथापि, यदि उनमें से कोई आयोजन के लिए उपलब्ध या तैयार नहीं है तो क्षेत्रीय प्रतिनिधि तथा सदस्य संयोजकों की सिफारिश पर उपयुक्त रूप से उपलब्ध पैनल के बाहर से गैर–सरकारी संगठन को कार्य दिया जाएगा।

3) नोडल एजेंसी के उत्तरदायित्व (गैर–सरकारी संगठन)

3 क <u>स्थान का चयन</u>

- ग्राम श्री मेला राज्यों की राजधानियों के अलावा अन्य स्थानों पर राज्य के किसी प्रमुख कस्बे/शहर में या किसी प्रमुख ग्रामीण स्थल पर भी आयोजित किया जा सकता है।

- जहां तक संभव हो स्थानीय त्यौहारों के साथ इन मेलों की तिथियों और स्थानों को सुमेलित किया जाना चाहिए।

- ग्रामश्री मेले प्रमुख धार्मिक अवसरों या सामाजिक/सांस्कृतिक आयोजनों के साथ किए जा सकते हैं, ताकि मेले के उद्देश्य को अच्छी तरह पूरा किया जा सके।

3 ख <u>प्रचार</u>

ग्रामश्री मेलों को पर्याप्त प्रचार आयोजन से पहले और उसके दौरान दिया जाए।

इस बात का अच्छी तरह से प्रचार किया जाए कि मेले में निःशुल्क प्रवेश है। प्रचार आयोजन, जैसे प्रैस विज्ञप्ति के दिनों में समाचार पत्रों की कतरनें सहायक पर्चे और नमूने, बैनरों के बिल, विवरणिका और होर्डिंग आदि ग्रामश्री मेलों में आए मॉनीटरों को दिखाए जाएँ।

- प्रैस विज्ञापन
- पोस्टर्स
- बैनर्स
- विवरणिका
- होर्डिंग
- पैम्फलेट
- समाचार पत्रों में विज्ञापन

प्रचार की उपरोक्त सभी विधियों में कपार्ट के नाम को एक प्रायोजक संगठन के रूप में प्रचार के माध्यम से महत्व/प्रतिष्ठा दिलाई जाए।

3 ग <u>भाग लेने वाली एजेंसियों/स्व–सहायता समूहों आदि को मिलने वाली सुविधाए</u>

मेले में भाग लेने वाले गैर–सरकारी संगठनों/डीआरडीए/स्व–सहायता समूहों को स्वैच्छिक संगठन द्वारा निम्नलिखित सुविधाएं देनी चाहिए :

1. कपार्ट समर्थित गैर–सरकारी संगठन के आने की यात्रा के लिए सामग्री लाने के भाड़े का व्यय प्रदान किया जाएगा। यह रेलवे/सड़क परिवहन को भुगतान की गई वास्तविक राशि तक सीमित होगा और केवल मूल/फोटोकॉपी रसीद प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जाएगा। किसी भी मामले में राशि का भुगतान 3,000 रु. से अधिक नहीं किया जाएगा। स्थानीय परिवहन का व्यय कपार्ट द्वारा नहीं किया जाएगा।

2. प्रत्येक स्वैच्छिक संगठन/डीआरडीए के दो व्यक्तियों को निःशुल्क सोने की सुविधा सहित ठहरने की सुविधा प्रदान की जाएगी। प्रतिभागी अपने व्यय पर अपने ठहरने की व्यवस्था करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

3. कपार्ट समर्थित गैर–सरकारी संगठन के मामले में मेले की अवधि में दो प्रतिनिधियों को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 100 रु. (सौ रु.) का भत्ता प्रत्येक संगठन को भुगतान किया जाएगा।

4. प्रत्येक प्रतिभागी संगठन को उत्पादों के प्रदर्शन के लिए दो मेजों सहित लगभग 75 वर्ग फीट का एक स्टॉल और दो कुर्सियां दी जाएंगी।

5. मेला परिसर में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था होगी।

6. उचित स्वच्छता सुविधाएं और अस्थायी शौचालय।

7. सुरक्षित पेय जल

8. छोटी–मोटी दुर्घटना/बीमारी आदि के मामले में प्राथमिक सहायता सुविधाएं।

9. कुछ स्टॉल केवल स्थानीय खाने पीने/पारम्परिक खाने के लिए होंगे।

3 घ <u>खरीदार–विक्रेता बैठकें (बीएसएम)</u>

आयोजक गैर–सरकारी संगठन द्वारा इन उत्पादों को प्रदर्शित/बेचने वाले एम्पोरियम और मेले के दौरान जिला/राज्य स्तर के संबंधित विभाग के सरकारी अधिकारियों को शामिल करते हुए स्थानीय/जिला/राज्य स्तर के उत्पादकों के साथ **खरीदार–विक्रेता बैठकें (बीएसएम)** आयोजित करने के कदम उठाए जाने चाहिए। खरीदार–विक्रेता बैठकों (बीएसएम) द्वारा मेला स्थल पर कम से कम **एक दिवसीय ग्राम श्री मेला** आयोजित किया जाना चाहिए। खरीदार–विक्रेता बैठकों (बीएसएम) को सफल बनाने के लिए पर्याप्त महत्व दिया जाना चाहिए, और इस प्रकार ग्रामीण उत्पादों/शिल्पकारों की मदद की जानी चाहिए। सरकार के संबंधित अधिकारियों और स्थानीय/राज्य स्तरीय विनिर्माताओं के साथ पूर्व समन्वय सुनिश्चित किया जाए ताकि इन बैठकों से लिखित में आदेश/वचनबद्धताओं के रूप में परिणाम मिलें।

3 ड़ उत्पाद विकास कार्यशाला

आयोजक स्वैच्छिक संगठन द्वारा मेला स्थल पर मेले के दौरान प्रदर्शित उत्पादों में सुधार और नए संभावित उत्पादों के बारे में चर्चा करने के लिए न्यूनतम एक कार्यशाला का आयोजन किया जाना चाहिए। कार्यशाला में भाग लेने वाले व्यक्ति प्रतिभागी समूह, अभिकल्पन विकास पर कार्य करने वाले सरकारी विभाग, एम्पोरियम प्रतिनिधि और विनिर्माता हो सकते है। यह अपेक्षा की जाती है कि प्रतिभागी समूहों को नवीनतम डिजाइनों, ग्राहकों के रुझानों, रुचियों तथा प्राथमिकताओं के साथ मशीनों और उपकरणों की उपलब्धता के ब्यौरे मिल सकें। इसके पीछे भविष्य में गुणवत्ता उत्पादों सहित प्रतिभागी समूहों को प्रोत्साहन और बढ़ावा देने का विचार शामिल है।

3 च विविध

3 च 1 मेले के दौरान हर शाम प्रतिभागियों की एक बैठक में समस्याओं और सुझावात्मक समाधानों पर चर्चा का आयोजन किया जाना चाहिए, और इन परिणामों को कपार्ट में जमा की गई मेला रिपोर्ट में बताया जाना चाहिए।

3 च 2 डिजाइनरों, थोक खरीदारों, निर्यातकों, सरकारी अधिकारियों, संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञों, वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों को कार्यशाला के निमंत्रण पत्र भेजे जाए।

3 च 3 सजावट, बिक्री और बिक्री के तरीकों, बुक किए गए आदेशों आदि के संदर्भ में सर्वोत्तम स्टॉल जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि प्रतिभागियों के बीच रुचि और एक स्वस्थ प्रतियोगिता का आयोजन हो सकें।

3 च 4 मंजूर किए गए बजट से ऊपर और अधिक किसी अतिरिक्त व्यय के लिए किसी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

3 च 5 यदि व्यवस्थाएं पैरा ग, घ, ङ में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार नहीं है तो अंतिम किस्त रोक दी जाएगी तथा इस संगठन को भविष्य में कोई मेले आयोजित करने का मौका नहीं दिया जाएगा।

3 च 6 सभी आयोजक स्वैच्छिक संगठनों को अपनी अंतिम मेला रिपोर्ट और लेखों के लेखापरीक्षित विवरण शीघ्रतम भेजने चाहिए और यह मेला समाप्त होने की तिथि से 2 माह से अधिक किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए।

3 च 7 स्वतंत्र शिल्पकारों को प्रोत्साहन देने के लिए नोडल एजेंसियों से दो स्टॉलों के बराबर स्थान देने का अनुरोध किया जाए, जहां स्थानीय शिल्पकार अपनी स्थानीय चीजों को स्थानीय प्रशासन के परामर्श से प्रस्तुत और प्रदर्शित कर सकें।

3 च 8 ग्राम श्री मेलों के दौरान संभावित खरीदारों और मेले में आने वाले अतिथियों की पहचान के लिए मेलों के अंदर अतिथि पुस्तिका रखी जानी चाहिए।

3 च 9 परिषद और स्वैच्छिक संगठनों द्वारा इस आयोजन को कपार्ट के विपणन कौशलों, सेवाओं और उपयुक्त प्रौद्योगिकी को भी बढ़ावा देने के लिए उपयोग किया जाएगा।

3 च 10 विभिन्न मेलों में नवाचारी विचारों/उत्पादों/विषयवस्तुओं को प्रदर्शित करने वाले स्वयंसेवी संगठनों/स्व–सहायता समूहों को पुरस्कार/पारितोषिक दिए जा सकते है।

3 च 11 मेले की मंजूरी इस शर्त पर दी जाएगी कि स्वैच्छिक संगठन यह प्रमाणन प्रस्तुत करेगा कि संबंधित ग्रामश्री मेले के लिए ना तो पूरी तरह या आंशिक रूप से, किसी अन्य/सरकारी/ गैर–सरकारी/अंतरराष्ट्रीय या किसी अन्य संगठन से इस मेले और स्थान के लिए उसने किसी प्रकार के निधिकरण के लिए आवेदन या प्राप्त नहीं किया है, प्राप्त नहीं कर रहा है और ना ही प्राप्त करेगा या आवेदन करेगा।

4) ग्राम श्री मेले में भाग लेने वाले समूह

4 क जीएसएम–बीएसएम में भाग लेने वाली एजेंसियों के चयन के पात्रता मानदण्ड :

1. कपार्ट द्वारा समर्थित गैर–सरकारी संगठन (सीएसवीओ) जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों (डीआरडीए) द्वारा नामित संगठनों, को जीएसएम–बीएसएम में भाग लेने की पात्रता है। भाग लेने वाले संगठनों को पंजीकरण के समय आमंत्रण के मूल पत्र (डीआरडीए/सरकार द्वारा नामित संगठनों के मामले में) प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।

2. पुष्टि करने के बाद बिना किसी वैध कारण के मेले में भाग लेने में असफल रहने या अपने लाभार्थियों स्वयं विनिर्मित नहीं किए गए उत्पादों का प्रदर्शन करने वाले संगठनों को अगले मेले में भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा।

3. एक संगठन से (जिसमें से एक अनिवार्य रूप से एक शिल्पकार हो और दूसरा गैर–सरकारी संगठन का प्रतिनिधि) केवल दो व्यक्तियों को भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। अतिरिक्त सदस्यों को लाने वाले व्यक्तियों को उनके ठहरने का व्यय स्वयं उठाना होगा।

4. किसी अभिकरण को एक वर्ष में तीन बार से अधिक स्टॉल नहीं लगाने दिया जाएगा।

5. राज्य की राजधानियों में मेले के लिए संबंधित राज्य सदस्य संयोजक को अन्य सदस्य संयोजकों से 6–7 कपार्ट समर्थित अभिकरणों को सूची लेनी चाहिए, शेष अपने क्षेत्र से लेनी चाहिए।

6. जिला स्तरीय मेलों के लिए क्षेत्र और आसपास के राज्यों के शिल्पकारों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाएं

4 ख उत्पाद प्रोफाइल, मूल्य देना तथा अन्य संबंधित ब्यौरे

- जीएसएम में लाए गए उत्पादों के स्टॉक।

  प्रतिभागियों द्वारा मूल्य सूची अपने राज्य में प्रदर्शित की जानी चाहिए। दिन की समाप्ति पर बिक्री के आंकड़े और शेष स्टॉक के आंकड़े भी जीएसएम–बीएसएम का आयोजन करने वाले स्वयंसेवी संगठन के अधिकारियों को दिए जाने चाहिए।

- बिक्री के लिए लाए गए सभी मदों पर मूल्य की परची होनी चाहिए।

- प्रतिभागियों को अपनी बिल पुस्तकें तथा अन्य आवश्यक स्टेशनरी साथ लानी चाहिए। किसी एजेंसी को बिना कैश मीमो/बिल के बिना बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी।

- जीएसएम–बीएसएम में प्रतिभागी अभिकरणों द्वारा बिक्री के लिए लाए गए किसी बाहरी उत्पाद को नहीं बेचा जाएगा। यह संकल्पना कपार्ट/डीआरडीए की आय उत्पादन योजना के अंतर्गत बने उत्पादों की बिक्री को प्रोत्साहन देने के लिए बनाई गई है। यदि किसी प्रतिभागी को दोषी पाया जाता है तो उसे मेले से बाहर निकाल दिया जाएगा और एक वर्ष के लिए वंचित कर दिया जाएगा।

5 क जीएसएम/बीएसएम के लिए बजट

अनुमानित बजट निम्न अनुसार होगा :

क) राज्य की राजधानियों के अतिरिक्त स्थानों पर लगाए गए ग्रामश्री मेले
स्टॉलों की संख्या = 40–50
अवधि = 10 दिन
भूमि के किराए सहित बजट 4,50,000/–

ख) राज्य की राजधानियों पर ग्रामश्री मेले
स्टॉलों की संख्या = 90–100
अवधि = 10 दिन
भूमि के किराए सहित बजट 10,00,000/–

टिप्पणी :

1. ग्राम श्री मेला आयेाजित करने के लिए भूमि अधिमानतः ग्राम पंचायत/कस्बा क्षेत्र समिति/राज्य की होनी चाहिए।

2. मंजूर राशि से ऊपर और अधिक व्यय करने पर अतिरिक्त राशि की प्रतिपूर्ति के लिए गैर–सरकारी संगठन के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। यद्यपि, यह विचलन मंजूर बजट से 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और इसे पर्याप्त रूप से उचित ठहराया जाए।

जीएसएम–बीएसएम का आयोजन करने वाले गैर–सरकारी संगठनों द्वारा निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत बजट का ब्यौरा बताया जाना चाहिए :–

क्र.सं.	व्यय शीर्ष
1	भूमि का किराया
2	मानदेय (राज्य राजधानियों के लिए 70,000 रु. और इनके अतिरिक्त स्थानों पर 50,000 रु.)
3	टैंट आदि (गेट, प्रकाश की व्यवस्था, मंच, बिजली, मेज, कुर्सियां, सजावट, सुरक्षा)
4	आवास (सोने के लिए)
5	प्रचार (पोस्ट, बैनर, होर्डिंग, विज्ञापन, स्थानीय केबल नेटवर्क, प्रेस सम्मेलन, समाचार पत्र, पैम्फलेट आदि)
6	दैनिक भत्ता/भाड़े के प्रभार
7	परिवहन
8	बीमा
9	सांस्कृतिक कार्यक्रम
10	उद्घाटन/समापन समारोह
11	पीने का पानी
12	डाक/स्टेशनरी
13	टेलीफोन
14	कार्यशाला/गोष्ठी (बीएसएम और पीडीएम)
15	लेखा परीक्षण शुल्क
16	विविध/अप्रत्याशित

5 ख गैर–सरकारी संगठन को मंजूर राशि जारी करना

इसे निम्नानुसार तीन किस्तों में जारी किया जाएगा :

1 पहली किस्त : 50 % – गैर–सरकारी संगठन द्वारा मंजूरी की शर्तों व निबंधनों की प्राप्ति के बाद

2 दूसरी किस्त : 25 % – स्टाल खड़े करने तथा अन्य व्यवस्थाएं पूरी होने के बाद

3 तीसरी किस्त : 25 % – गैर–सरकारी संगठन द्वारा लेखों का लेखा परीक्षित विवरण और उपयोगिता प्रमाणपत्र सहित प्रपत्र के अनुसार मेला रिपोर्ट और मानीटर द्वारा मूल्यांकन रिपोर्ट जमा करने पर।

6) निगरानी

संबंधित सदस्य संयोजक द्वारा तैनात किए गए कपार्ट के अधिकारी या परियोजना मूल्यांकनकर्त्ता निगरानी के लिए मेला स्थल पर आ सकेंगे।

आयोजन करने वाले गैर–सरकारी संगठन से अपेक्षा की जाती है कि वह जीएसएम का आयेाजन करने से संबंधित सभी अभिलेख पूर्व तैयारी से लेकर और दैनिक आयेाजनों तक तथा बिक्री के अभिलेख एवं अन्य कार्यवाहियों को प्रस्तुत करे।

7) <u>जीएसएम–बीएसएम पर प्रस्ताव प्रस्तुत करने का प्रपत्र</u>

क. संगठन का प्रोफाइल – कम्पेंडियम में दिए गए प्रपत्र के अनुसार छोटे संगठन के लिए

ख. परियोजना प्रोफाइल

1. परियोजना का शीर्षक :

2. क्या आप मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार जीएसएम – बीएसएम की पात्रता शर्तें पूरी करते हैं :

3. जीएसएम के लिए स्थल चुनने के मानदण्ड :

4. ग्रामीण उत्पादों के विपणन विकास से संबंधित अनुभव :

5. आपको उपरोक्त कथित मेले से कितनी बिक्री की आशा है ? :

6. कोई मद, जो आप विस्तार से बताना चाहें और प्रकाश डालना चाहें ताकि उत्पाद समूहों को सशक्त बनाया जा सके और प्रोत्साहन मिले :

7. ग्रामश्री मेला आयोजित करने का पिछला अनुभव :

8. पिछले तीन वर्षों के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा, आय–व्यय लेखा, प्राप्ति और भुगतान लेखा, तुलन पत्रों की प्रतियाँ :

(अध्यक्ष के हस्ताक्षर)

दिनांक : . . . .

8) स्वैच्छिक संगठन की रिपोर्ट का प्रपत्र

भाग – I

1. आयोजक का नाम और पता

2. मंजूर राशि : रु. .....
   दिनांक .....

3. जारी राशि : रु. 1 ..... (दिनांक .....)
   : रु. 2 ..... (दिनांक .....)
   : रु. 3 ..... (दिनांक .....)

4. स्टालों की संख्या : .....

5. भाग लेने वाले गैर–सरकारी संगठनों की संख्या

   i) कपार्ट समर्थित : .....
   ii) डीआरडीए समर्थित : .....
   iii) वैयक्तिक : .....
   iv) अन्य : .....

(भाग लेने वाले स्वैच्छिक संगठनों, पतों और अन्य संचार ब्यौरों की सूची के साथ प्रदर्शन और बिक्री के उत्पादों की सूची लगाई जाए)

6. मेला उद्घाटन की तिथि/अवधि (चुनी गई अवधि के महत्व का विवरण दें)

7. किसने उद्घाटन किया

8. अपनाया गया प्रचार का तरीका (उत्पादि/प्रयुक्त सामग्रियों की प्रति संलग्न करें)

9. प्रतिदिन बिक्री की कार्रवाई

10. कितने स्वैच्छिक संगठनों ने जीएसएम में अन्य लोगों द्वारा प्रदर्शित अन्य उत्पादों की अनुकृति बनाने में रुचि दिखाई है। (प्रशिक्षण, कच्ची सामग्री की उपलब्धता, बाजार संभावना आदि के संदर्भ में।) (उत्पादों सहित प्रतिभागियों की सूची भी संलग्न की जाए)

11. केवीआईसी/ट्राइफेड /राज्य/निजी एम्पोरिया जैसे बड़े बिक्री के स्थानों पर उत्पादों को किस प्रकार अवसर मिला।

12. जीएसएम/बीएसएम के दौरान प्राप्त किए गए ऑर्डर
– मेले के दौरान
– व्यापार एन्क्वायरी

13. पूरे पतों सहित उन लोगों की सूची जिन्होंने खरीदार–विक्रेता बैठक में भाग लिया (कार्यवाहियां संलग्न की जाए)

14. पूरे पतों सहित उन लोगों की सूची जिन्होंने उत्पाद विकास बैठक में भाग लिया (कार्यवाहियां संलग्न की जाए)

15. मेले के दौरान ली गई तस्वीरें

16. अपनाया गया प्रचार का तरीका (उत्पादित/प्रयुक्त सामग्रियों की प्रति संलग्न करें)

17. भविष्य में जीएसएम/बीएसएम के आयोजन के लिए राज्य के 3–4 संभावित स्थानों का सुझाव, कारण सहित (आसपास के जिले)

18. जीएसएम के आयोजन को बेहतर बनाने के सुझाव।

19. निर्यात संभावना वाले कौन से उत्पाद है?

भाग –।।

1. मेले के दौरान कितने स्टॉल खाली रहे और उनके कारण बताएँ।

2. आयोजित खरीदार–विक्रेता सम्मेलन के विवरण और परिणाम बताएँ।

3. विभिन्न राज्यों/क्षेत्रों के कलाकारों के बीच अंतःक्रिया के किसी प्रयास पर जानकारी दें।

4. क्या आपने कलाकारों द्वारा स्थल पर किसी जीवन्त प्रदर्शन की व्यवस्था की ?

5. क्या आपको प्रतिभागियों से कोई फीडबैक (प्रतिक्रिया) मिला, यदि हाँ तो इन्हें प्रस्तुत करें।
   - मेला स्थल के स्थान पर
   - मेला स्थल पर दी गई सुविधाएँ
   - सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर
   - आवास व्यवस्थाओं पर
   - प्रचार व्यवस्थाओं से पड़े प्रभाव
   - यदि कोई समस्याएँ हुई हों।

6. क्या मेले पर बारिश या किसी अप्रत्याशित प्राकृतिक विपदा का प्रभाव हुआ, यदि हाँ तो तिथियों सहित क्षति का विवरण दें।

7. व्यवस्थाएँ सुधारने के लिए आपके सुझाव

स्थान

तिथि

(मुख्य पदाधिकारी के हस्ताक्षर)

स्थानीय सदस्य संयोजक के संग्रह के बाद आयोजक गैर–सरकारी संगठन द्वारा जमा किए जाने वाले ग्राम श्री मेले और खरीदार–विक्रेता सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिभागियों में बाँटने के लिए प्रपत्र

क. प्रतिभागी संगठन का नाम और पता

ख. क्या आप मेले में की गई व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं–हाँ/नहीं

प्रतिभागी अभिकरण द्वारा दैनिक बिक्री की रिपोर्टिंग का प्रपत्र

1. संगठन/स्व–सहायता समूह/डीआरडीए/वैयक्तिक कलाकार का नाम

2. स्टॉल सं.

3. लाए/प्रदर्शित/बिके उत्पाद

लाए गये उत्पाद की प्रकृति	बिकी की मात्रा	वसूल मूल्य	स्टाक में मात्रा

4. आगंतुकों की प्रतिक्रियाः उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/अच्छा/ठीक/ गैर–प्रोत्साहनकारी

5. आयोजित खरीदार–विक्रेता सम्मेलन की प्रतिक्रिया।

6. यदि कोई ऑर्डर प्राप्त हुए हों तो उनके विवरण दें।

7. गुणवत्ता में सुधार के लिए आगंतुकों, खरीदारों, विक्रेताओं द्वारा दिए गए सुझाव।

8. अन्य कोई, यदि बताना चाहें।

(प्रतिनिधि प्रतिभागी के हस्ताक्षर .....)

ग्राम श्री मेले के लिए अनुमानित बजट

क) स्टालों की संख्या 40–50 क्षेत्रीय समितियों के लिए
80–100 राज्य स्तर के लिए

ख) अवधि 10 दिन

क्र. सं.	व्यय शीर्ष	प्रतिशत आबंटन	मुख्यालय (100 स्टालों के लिए 10 लाख रु. का बजट)	क्षेत्रीय समितियाँ (40–50 स्टालों के लिए 4 लाख रु. का बजट)
1	भूमि का किराया		संबंधित प्राधिकरण (वरीयतः सरकारी भूमि) द्वारा वास्तविक मांग के अनुसार	संबंधित प्राधिकरण (वरीयतः सरकारी भूमि) द्वारा वास्तविक मांग के अनुसार
2	मानदेय		70,000/–	50,000/–
3	टेंट आदि (प्रवेशद्वार, लाइटिंग, मंच, बिजली, मेज, कुर्सियों, सजावट, सुरक्षा)	35 प्रतिशत	3,50,000/–	1,40,000/–
4	आवास (सोने के लिए)	8 प्रतिशत	80,000/–	30,000/–
5	प्रचार (पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, विज्ञापन, स्थानीय केबल नेटवर्क, प्रैस सम्मेलन, समाचार पत्र, पर्चे आदि)	10 प्रतिशत	1,00,000/–	40,000/–
6	दैनिक भत्ता/भाड़ा प्रभार	20 प्रतिशत	2,00,000/–	1,00,000/–
7	परिवहन	2.5 प्रतिशत	20,000 से 25,000/–	10,000/–
8	बीमा	1 प्रतिशत	7,000 से 10,000/–	4,000/–

9	सांस्कृतिक कार्यक्रम	2.5 प्रतिशत	20,000 से 25,000/–	10,000/–
10	उद्घाटन/समापन समारोह	1 प्रतिशत	5,000 से 10,000/–	5,000/–
11	पेय जल	0.5 प्रतिशत	3,000 से 5,000/–	3,000/–
12	डाक व्यय/स्टेशनरी	1 प्रतिशत	10,000/–	4,000/–
13	टेलीफोन	0.3 प्रतिशत	3,000/–	1,500/–
14	कार्यशाला/गोष्ठी (बीएसएम और पीडीएम)	1 प्रतिशत	5,000 से 10,000/–	4,000/–
15	लेखा परीक्षण शुल्क	0.3 प्रतिशत	3,000/–	1,500/–
16	विविध/ आकस्मिक	2 प्रतिशत	20,000/–	8,000/–
			8,96,000/– से 9,21,000/– + भूमि का किराया	4,11,000/– + भूमि का किराया

8) स्वैच्छिक संगठन की रिपोर्ट का प्रपत्र

क) मंजूर राशि : रु. .....
दिनांक .....

ख) जारी राशि : रु. 1 ..... (दिनांक .....)
: रु. 2 ..... (दिनांक .....)
: रु. 3 ..... (दिनांक .....)

ग) स्टालों की संख्या : .....

घ) भाग लेने वाले गैर–सरकारी संगठनों की संख्या

i) कपार्ट समर्थित : .....
ii) डीआरडीए समर्थित : .....
iii) वैयक्तिक : .....
iv) अन्य : .....

(भाग लेने वाले स्वैच्छिक संगठनों, पतों और अन्य संचार ब्यौरों की सूची के साथ प्रदर्शन और बिक्री के उत्पादों की सूची लगाई जाए)

ङ) प्रति दिन रुझान देखने के लिए बिक्री की कार्रवाईयाँ

च) कितने स्वैच्छिक संगठनों ने जीएसएम में अन्य लोगों द्वारा प्रदर्शित अन्य उत्पादों की अनुकृति बनाने में रुचि दिखाई है। (प्रशिक्षण, कच्ची सामग्री की उपलब्धता, बाजार संभावना आदि के संदर्भ में।)

(उत्पादों सहित प्रतिभागियों की सूची भी संलग्न की जाए)

छ) केवीआईसी/ट्राइफेड/राज्य/निजी एमपोरिया जैसे प्रमुख बिक्री स्थलों में उत्पादों के लिए बिक्री के क्या अवसर थे?

ज) जीएसएम/बीएसएम के दौरान प्राप्त किए गए आर्डर

- मेले के दौरान
- भविष्य में अपेक्षित

झ) पूरे पतों सहित उन लोगों की सूची जिन्होंने खरीदार–विक्रेता बैठक में भाग लिया (कार्यवाहियां संलग्न की जाए)

ञ) पूरे पतों सहित उन लोगों की सूची जिन्होंने उत्पाद विकास बैठक में भाग लिया (कार्यवाहियां संलग्न की जाए)

ट) मेले के दौरान ली गई तस्वीरें

ठ) भविष्य में जीएसएम/बीएसएम के आयोजन के लिए राज्य के 3–4 संभावित स्थानों का सुझाव, कारण सहित (आसपास के जिले)

ड) कृपया वे आयोजन बताएँ, जब यदि पहले से तैयारी की जाती तो अधिक सफलता मिलती। सुधारों और सावधानी के उपायों पर सुझाव दें।

ढ) जीएसएम के आयोजन को बेहतर बनाने के सुझााव।

ण) जीएसएम–बीएसएम निर्यात की संभावना हैं? (कृपया उपयुक्त सूची दें)

जीएसएम–बीएसएम में भाग लेने वाले अभिकरणों के चयन मानदण्ड

1. प्रतिभागी अभिकरणों के नाम और पते
2. मुख्य पदाधिकारी का नाम
3. पंजीकरण वर्ष
4. निर्मित उत्पाद का प्रकार
5. अपनाई गई उत्पादन विधि
6. विपणन कार्यनीति
7. संबंधित क्षेत्रीय प्रतिनिधि/सदस्य संयोजक द्वारा संस्तुत किया जाए।
8. जीएसएम–बीएसएम में भाग लेने की संख्या

स्वैच्छिक संगठन द्वारा इस आशय का प्रमाणपत्र कि संबंधित परियोजना के लिए किसी सरकारी, गैर–सरकारी, अंतरराष्ट्रीय या अन्य किसी अभिकरण से इन्हीं लाभार्थियों को लेकर इसी परियोजना में पूरी तरह या आंशिक रूप से कोई निधिकरण न तो प्राप्त किया है, ना प्राप्त कर रहा है और ना ही प्राप्त करेगा या इसे पाने का आवेदन करेगा।

कपार्ट के समर्थन हेतु प्रस्तावित कार्यशालाएं/गोष्ठियां/सम्मेलन के लिए मार्गदर्शिका

परिचय

लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कपार्ट) द्वारा इसकी बहिर्नियमावली में निहित संस्था के उद्देश्यों के अनुसार स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए परिषद की मूल वचनबद्धता से प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले किसी विषय पर कार्यशाला/सम्मेलनों को समर्थन दिया जाएगा।

कार्यक्रम के उद्देश्य इस प्रकार हैं :

- कपार्ट की योजनाओं के बारे में जागरूकता लाना।
- प्रतिभागितापूर्ण मार्गों और स्वैच्छिक गतिविधि पर प्रशिक्षण कार्यशालाओं को समर्थन।
- ग्रामीण विकास तथा स्वैच्छिक गतिविधि/मध्यस्थताओं के दोहराए जाने योग्य मॉडल के लिए स्वैच्छिक गतिविधि को प्रोत्साहन, प्रवर्तन और सहायता देना।
- ग्रामीण समृद्धि बढ़ाने के लिए अपयुक्त प्रौद्योगिकी का प्रसार और फैलाव।
- जलागम प्रबंधन और सामाजिक वानिकी जैसे प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन द्वारा टिकाऊ आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।
- ग्रामीण विकास में निःशक्त व्यक्तियों को समान अवसर देना और सभी गतिविधियों में उनकी पूर्ण प्रतिभागिता को बढ़ावा देना।
- विकास क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को उनके क्षेत्र अनुभवों और ज्ञान को आपस में बाँटने के लिए आम मंच पर एक साथ आने में समर्थ बनाना, ताकि ग्रामीण विकास की परियोजनाओं को बेहतर कार्यान्वित किया जा सके।

परिभाषा

कार्यशाला–सह–प्रशिक्षण : न्यूनतम 25 लोगों के समूह की एक बैठक जिसमें स्वैच्छिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को चुनने के लिए ज्ञान/तकनीकों/कौशलों पर जानकारी का प्रसार करना।

गोष्ठी :

व्यावसायिकों/शिक्षाविदों/प्रशासकों/स्वैच्छिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों की बैठक, जिसमें एक ऐसे विषय पर चर्चा और विचार मंथन किया जाए, जिसमें कपार्ट की योजना की प्रभावित को प्रोत्साहन की स्पष्ट सिफारिशें की जाएंगी।

सम्मेलन :

स्वैच्छिक क्षेत्र के वरिष्ठ प्रतिनिधियों और विकास व्यावसायिकों की बैठक, जिसमें ग्रामीण विकास से प्रत्यक्ष संगति के नीति मार्गदर्शी सिद्धांतों पर चर्चा और उनका विकास हो सके।

कार्यक्रम के आयोजन की शर्तें और परिस्थितियां

1. किसी कार्यक्रम का प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में जमा किया जाए और कार्यक्रम आरंभ होने के कम से कम दो माह पूर्व जमा राष्ट्रीय स्तर के आयोजन और जिला स्तरीय आयोजन के एक माह पूर्व परिषद किया जाए।
2. आयोजक को पूर्व में ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन का अनुभव और सदन और अतिथि के तौर पर तैनात संसाधन व्यक्तियों के विवरण
3. कार्यक्रम पूरा होने पर आयोजन की संसाधन सामग्री, कार्यवाहियों की विस्तृत रिपोर्ट, सिफारिशें आदि परिषद में दो माह के अंदर जमा की जाएं।
4. पूरे पते सहित प्रतिभागियों की एक सूची, लेखा परीक्षित लेखा और उपयोगिता प्रमाणपत्र भी जल्दी से जल्दी जमा किए जाएं, परन्तु कार्यक्रम समाप्त होने की तिथि से दो माह से अधिक समय बाद नहीं।
5. यह अनिवार्य है कि कपार्ट का एक प्रतिनिधि सभी कार्यशालाओं में भाग ले।
6. कुल अनुदान की 10 प्रतिशत राशि रोक ली जाएगी और आयोजक संतोषजनक पूर्णता और लेखा परीक्षित लेखा विवरण और उपयोगिता प्रमाणपत्र की प्राप्ति के बाद दी जाएगी। यदि आयोजक द्वारा अंतिम लेखा में उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा किया गाया है तो अलग से उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
7. मंजूर बजट से ऊपर और अधिक किसी अतिरिक्त व्यय के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।
8. सभी बैनरों, प्रचार सामग्री और मुद्रित प्रतिवेदन आदि पर कपार्ट की वित्तीय सहायता का उल्लेख किया जाना चाहिए।

कार्यशाला/सम्मेलन/गोष्ठी/आयोजित करने के लिए स्वयंसेवी संगठन के चयन मानदण्ड

स्वयंसेवी संगठन को :

1. इसे संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 या इसके एक राज्य संशोधन, भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 अथवा धमार्थ और सहायतार्थ संस्थान पंजीकरण अधिनियम, 1920 के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए।

2. पिछले तीन वर्षों से बैंक या डाकखाने में खाता होना चाहिए।

3. यदि स्वयंसेवी संगठन का मुख्यालय शहरी क्षेत्र में हो, तो भी यह ग्रामीण क्षेत्र में लाभार्थियों के साथ कार्य करता हो।

4. राज्य/क्षेत्र में उपस्थिति हो।

5. कपार्ट के उन संगठनों की सूची में नहीं रखा गया हो, जिनका निधिकरण रोका गया हो।

6. पर्याप्त जन शक्ति और हॉल, आवास, व्याख्यान कक्ष आदि जैसे संसाधनों के संदर्भ में आयोजन की क्षमता रखता हो, ताकि स्वैच्छिक संगठन द्वारा लिए गए उत्तरदायित्व को उठा सकें

7. पहली बार आने वाले सभी गैर–सरकारी संगठनों/स्वयंसेवी संगठनों को आयोजन के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों से सम्पर्क करना चाहिए।

8. इस प्रस्ताव की सिफारिश और अग्रेषण विचार और अनुमोदन हेतु क्षेत्रीय प्रतिनिधि एवं सदस्य संयोजक द्वारा कपार्ट को भेजा जाएगा।

बजट

अनुमानित बजट इस प्रकार होगा :

1. राज्य की राजधानियों के अलावा अन्य स्थानों पर कार्यशाला/गोष्ठी सम्मेलन आयोजित करने के लिए

   प्रतिभागियों की संख्या – 25–50

   अवधि – 2–3 दिन

   बजट लगभग 1 लाख रु. होगा।

2. राज्य की राजधानियों में कार्यशाला/गोष्ठी/सम्मेलन आयोजित/करने के लिए

   प्रतिभागियों की संख्या – 50–100

   अवधि – 2–3 दिन

   बजट लगभग 2 लाख रु. होगा।

3. राष्ट्रीय स्तर पर कार्यशाला/गोष्ठी/सम्मेलन आयोजित करने के लिए

   प्रतिभागियों की संख्या – 50–100

   अवधि – 2–3 दिन

   बजट लगभग 3 लाख रु. होगा।

कार्यशाला/सम्मेलन/गोष्ठी/आयोजित करने के लिए स्वैच्छिक संगठन के चयन मानदण्ड

कार्यशाला/गोष्ठी/सम्मेलन के आयोजन हेतु परियोजना प्रस्ताव के लिए प्रपत्र

भाग–क

स्वैच्छिक संगठन के प्रस्ताव में सम्मिलित होना चाहिए :

संगठनात्मक प्रोफाइल

क– संगठन के ब्यौरे

(कृपया बहिर्नियमावली और उप–नियम जमा करें)

यह सूचना कपार्ट मार्गदर्शिका में छोटे स्वैच्छिक संगठनों के संगठनात्मक प्रोफाइल के अनुसार प्रस्तुत की जाए।

ख– गतिविधियों के ब्यौरे :

- संगठन की गतिविधियाँ
- कार्यक्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्र
- व्यावसायिक कर्मचारी

ग– वित्तीय स्थिति

वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखा की प्रतियां

आय/व्यय लेखा

प्राप्ति और भुगतान लेखा

पिछले तीन वर्षों का तुलन पत्र

भाग–ख

1. गोष्ठी/कार्यशाला/सम्मेलन का शीर्षक
2. गोष्ठी/कार्यशाला/सम्मेलन का उद्देश्य
3. गोष्ठी/कार्यशाला/सम्मेलन का औचित्य
4. ग्रामीण विकास हेतु कपार्ट के उद्देश्य और अधिदेश को इसके लाभ बताएं

5. परियोजना की अनुसूची

6. प्रस्तावित प्रतिभागी श्रेणीवार

7. व्यक्तियों की सूची (योग्यता सहित)

8. मुख्य अतिथि (यदि कोई हैं)

9. उपयोग के लिए प्रस्तावित संसाधन सामग्री का एक सैट संलग्न करें।

परिणाम : कार्यशालाओं के लिए तैयार की गई संसाधन सामग्री सहित लगभग 1000 शब्दों में एक रिपोर्ट परिषद को दी जाए, साथ ही प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया, पते और फोन नं. तथा कार्य का क्षेत्र बताया जाए।

11. बजट*

i. ठहरने – भोजन की व्यवस्था

ii. यात्रा

iii. संसाधन व्यक्ति के ठहरने–भोजन और यात्रा पर व्यय

iv. संसाधन व्यक्तियों को मानदेय

v. संसाधन सामग्री (फोटोकॉपी आदि)

vi. स्थान, माइक, बैनर्स आदि का किराया

vii. विविध

* प्रत्येक मद का ब्यौरा और उसका औचित्य, यदि है

भाग – IV

लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद् (कपार्ट), नई दिल्ली

कपार्ट, नई दिल्ली कार्यालय की दूरभाष/फैक्स संख्या

पद	विस्तार सं.	कार्यालय
अध्यक्ष, कपार्ट तथा केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार कृषि भवन, नई दिल्ली	–	23782373, 23782327 (टेली.) 23385876 (फैक्स)
निजी सचिव	–	23383548, 23782327 23782373 (टेली.) 23385876 (फैक्स)
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री (पी) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार कृषि भवन, नई दिल्ली	–	23782063, 23782211 (टेली.) 23782328 (फैक्स)
निजी सचिव	–	23782063, 23782211 (टेली.) 23782328 (फैक्स)
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री (एन) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार कृषि भवन, नई दिल्ली	–	23061671, 23062390 (टेली.) 23061695 (फैक्स)
निजी सचिव	–	23061183 (टेली.)
सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार कृषि भवन, नई दिल्ली		23384467, 23382230 (टेली.) फैक्स 23382408
महानिदेशक, कपार्ट कोर 5 ए, द्वितीय तल, भारत पर्यावास केंद्र, लोदी रोड नई दिल्ली	103	24642390 (टेली.) 24633546 (फैक्स)
निजी सचिव	104	24642390 (टेली.)

पद	विस्तार सं.	कार्यालय
उपमहानिदेशक –।, कपार्ट कोर 5 ए, द्वितीय तल, भारत पर्यावास केंद्र, लोदी रोड नई दिल्ली	107	24642392 (टेली.) 24647956 (फैक्स.)
निजी सहायक	108	24642392 (टेली.)
उपमहानिदेशक –।।, कपार्ट कोर 5 ए, द्वितीय तल, भारत पर्यावास केंद्र, लोदी रोड नई दिल्ली	105	24647958 (टेली.) 24647955 (फैक्स.)
निजी सहायक	106	24647958 (टेली.)
मुख्य सतर्कता अधिकारी, कपार्ट कोर 5 ए, द्वितीय तल, भारत पर्यावास केंद्र, लोदी रोड नई दिल्ली	101	24603026 (टेली.) 24603026 (फैक्स.)
निजी सचिव	146	24603026 (टेली.)
विभागाध्यक्ष (एआरटीएस)	127	24656697 (टेली.)
विभागाध्यक्ष (पीसी और ओबी)	116	24656698 (टेली.)
विभागाध्यक्ष (निःशक्तता)	131	24642395 (टेली.)
विभागाध्यक्ष (आरटीआई)	123	24656701 (टेली.)
विभागाध्यक्ष (समन्वय)	111	24648604 (टेली.)
विभागाध्यक्ष (लेखा)	119	24643682 (टेली.)
विभागाध्यक्ष (प्रकाशन एवं मीडिया)	168	24642395 (टेली.)
विभागाध्यक्ष (प्रशासन)	125	24642394 (टेली.)
विभागाध्यक्ष (आईटीडी)	117	24642395 (टेली.)

सामान्य दूरभाष संख्या : (011) 24642391, 24642393, 24642395, 24648602, 24648063, 24648605 24646906, 24646908, 24654425

सामान्य फैक्स संख्या : 011–24648607

ग्राम : कपार्ट

वेबसाइट : www.capart.nic.in

कपार्ट की क्षेत्रीय समितियों के नाम, पते एवं दूरभाष/फैक्स नम्बर

क्र.सं.	नाम और पता	कार्य क्षेत्र	दूरभाष एवं फैक्स नम्बर
1	क्षेत्रीय प्रतिनिधि एवं सदस्य संयोजक पश्चिम क्षेत्र क्षेत्रीय समिति–कपार्ट नवजीवन ट्रस्ट काम्प्लेक्स, आश्रम रोड, अहमदाबाद, 380 014	गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, दमन व दीव, दादर व नागर हवेली	079 – 275 45073 (टेली.) 079 – 275 45073 (फैक्स)
2	क्षेत्रीय प्रतिनिधि एवं सदस्य संयोजक पूर्वी क्षेत्र क्षेत्रीय समिति, कपार्ट एन 1–ए, /7, आईआरसी विलेज, नयापल्ली भुवनेश्वर – 751 015, उडीसा	पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0674 – 255 1028 (टेली.) 0674 – 255 2244 (फैक्स)
3	क्षेत्रीय प्रतिनिधि एवं सदस्य संयोजक क्षेत्रीय समिति, कपार्ट एससीओ/179–180, द्वितीय तल सेक्टर–17सी, चण्डीगढ़ – 160 017	हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, चंडीगढ़ तथा पंजाब	0172 – 272 0465 (टेली.) 0172 – 270 0457 (फैक्स)
4	क्षेत्रीय प्रतिनिधि एवं सदस्य संयोजक उत्तरी क्षेत्र क्षेत्रीय समिति, कपार्ट ताम्बी टॉवर, तीसरा तल संसार चन्द्रा रोड, जयपुर– 302 001	दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश	0141 – 237 3460 (टेली.) 0141 – 237 9783 (फैक्स)
5	क्षेत्रीय प्रतिनिधि एवं सदस्य संयोजक पूर्वोत्तर क्षेत्र क्षेत्रीय समिति, कपार्ट अशोक पथ, वशिष्ठ रोड़ गुवाहाटी – 781 028	आसाम, नागालैण्ड, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचंल प्रदेश, त्रिपुरा, एवं मेघालय	0361 – 226 9113 (टेली.) 0361 – 226 8368 (टेली.) 0361 – 222 2118 (फैक्स)

6	क्षेत्रीय प्रतिनिधि एवं सदस्य संयोजक दक्षिणी क्षेत्र क्षेत्रीय समिति, कपार्ट संकाय भवन नं. 1 राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एनआईआरडी) राजेन्द्र नगर, हैदराबाद – 500 030	आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पाण्डिचेरी	040 – 2401 7851 (टेली.) 040 – 2401 8669 (फैक्स)
7	क्षेत्रीय प्रतिनिधि एवं सदस्य संयोजक केन्द्रीय क्षेत्र क्षेत्रीय समिति, कपार्ट 'पिकअप भवन', 6वां तल, ब्लॉक–ए विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ – 260 001	उत्तर प्रदेश, एवं उत्तरांचल	0552 – 272 1696 (टेली.) 0522 – 272 1695 (फैक्स)
8	क्षेत्रीय प्रतिनिधि एवं सदस्य संयोजक क्षेत्रीय समिति, कपार्ट बिस्कोमौन भवन, गांधी मैदान के पास पटना – 800 001	बिहार एवं झारखंड	0612 – 221 1646 (टेली.) 0612 – 220 3669 (फैक्स)
9	क्षेत्रीय प्रतिनिधि एवं सदस्य संयोजक क्षेत्रीय समिति, कपार्ट नं. 304, 'इंदिरा निवास' भारती नगर, 3सरा मेन रोड़, छसानाकोप्पा सर्किल धारवाड़ – 580 001, कर्नाटक	कर्नाटक, केरल एवं लक्ष्यदीप	0836 – 224 0309 (टेली.) 0836 – 277 0810 (फैक्स)